26. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के उपखंड (क) में " ऐसी कंपनियों के किसी संघ" शब्दों के पश्चात्, "या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड या किसी निगम या किसी अन्य निकाय" शब्द 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 80झक का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 80झख का संशोधन।

(क) उपधारा (4) के चौथे परंतुक में, "31 मार्च, 2005" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2007" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (8क) के खंड (iii) में "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्द के स्थान पर, " 1 अप्रैल, 2007" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ का 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 80ठ का लोप ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 88 का संशोधन।

"(9) इस धारा के अधीन आय-कर की रकम से कोई कटौती ऐसे किसी निर्धारिती को, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 88ख का, 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 88ख का लोप।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 88ग का, 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 88ग का लोप।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 88घ का, 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 88घ का लोप ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (घ) के नीचे आने वाले परंतुक में "जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं" शब्दों के पश्चात्, "या जीरो कूपन बंधपत्र" शब्द 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 112 का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (ख) में, 1 अप्रैल, 2006 से, — धारा 115क का संशोधन।

(i) उपखंड (अ) में, "31 मई, 1997 के पश्चात् किए गए किसी करार" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मई, 1997 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 से पूर्व किए गए किसी करार" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (अ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(अअ) कुल आय में सम्मिलित स्वामिस्व के रूप में, यदि कोई हो, आय पर दस प्रतिशत की दर से, यदि ऐसा स्वामिस्व 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त होता है, परिकलित आय-कर की रकम;";

(iii) उपखंड (आ) में, "31 मई, 1997 के पश्चात् किए गए किसी करार; और " अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मई, 1997 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 से पूर्व किए गए किसी करार" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपखंड (आ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(आआ) कुल आय में सम्मिलित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में, यदि कोई हो, आय पर, दस प्रतिशत की दर से, यदि तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी फीस 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त होती है, परिकलित आय-कर की रकम ;" ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञकक में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 115ञकक का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां किसी निर्धारिती द्वारा जो कोई कंपनी है, धारा 115ञख की उपधारा (1) के अधीन कर की किसी रकम का, 1 अप्रैल, 2006 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए संदाय किया जाता है, वहां इस प्रकार संदाय किए गए कर के मुजरा को इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 115ञक की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठक के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 115ञक की उपधारा (1) के अधीन या धारा 115ञख की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115फघ में, 1 अप्रैल, 2006 से खंड (vii) का लोप किया जाएगा । धारा 115फघ का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12छ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अध्याय 12ज का अंतःस्थापन ।

'अध्याय 12ज

सीमांत फायदों पर आय-कर

अ—कतिपय पदों का अर्थ

115ब. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "नियोजक" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब जो ऐसे कारबार या वृत्ति में लगा हुआ है, जिसके लाभ और अभिलाभ, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से निर्धारणीय हैं ;

(ii) कोई कंपनी ;

(iii) कोई फर्म ;

(iv) व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ;

(v) कोई स्थानीय प्राधिकारी ; और

(vi) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो किसी पूर्ववर्ती उपखंडों के अंतर्गत नहीं आता है ;

(ख) "सीमांत फायदा कर" या "कर" से धारा 115बक के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है ।

आ—प्रभार का आधार

सीमांत फायदा कर का प्रभारण ।

115बक. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रभारित आय-कर के अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए किसी नियोजक द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए गए समझे गए सीमांत फायदों के संबंध में ऐसे सीमांत फायदों के कुल मूल्य पर तीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर (जिसे इस अधिनियम में सीमांत फायदा कर कहा गया है) प्रभारित किया जाएगा ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि किसी नियोजक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय पर कोई आय-कर संदेय नहीं है, सीमांत फायदों पर कर ऐसे नियोजक द्वारा संदेय होगा ।

सीमांत फायदों का अर्थ ।

115बख. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "सीमांत फायदों" से अभिप्रेत है,—

(क) कोई विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा या सुख-सुविधा, जो किसी नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिसके अंतर्गत भूतपूर्व कर्मचारी भी है या हैं) उनके नियोजन के कारण प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई हो ; या

(ख) नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को किसी भी प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से की गई कोई प्रतिपूर्ति;

(ग) कर्मचारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों को अपनी निजी यात्राओं के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई निःशुल्क या रियायती टिकट; और

(घ) किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में नियोजक द्वारा कोई अभिदाय ।

(2) सीमांत फायदे उपलब्ध कराए गए समझे जाएंगे, यदि नियोजक ने अपने कारबार या वृत्ति, जिसके अन्तर्गत कोई क्रियाकलाप भी है, चाहे ऐसा क्रियाकलाप आय, लाभ या अभिलाभ व्युत्पन्न के उद्देश्य से किया जाता हो अथवा नहीं, के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रयोजनों पर कोई व्यय उपगत किया है या उसके लिए कोई संदाय किया है, अर्थात् :—

(क) मनोरंजन ;

(ख) उत्सव समारोह ;

(ग) दान ;

(घ) क्लब सुविधाओं का उपयोग ;

(ङ) नियोजक द्वारा किसी व्यक्ति के लिए हर प्रकार के आतिथ्य का उपबंध, चाहे खाद्य और सुपेयों की व्यवस्था के रूप में या किसी भी प्रकार की किसी अन्य रीति में हो और चाहे ऐसी व्यवस्था किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा या रूढ़ि या प्रथा के कारण की गई हो या नहीं, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्यालय या कारखाने में उपलब्ध कराए गए खाद्य या सुपेयों से संबंधित व्यय या उसके लिए संदाय नहीं है ;

(च) अतिथि गृह के प्रकार की किसी वास-सुविधा का अनुरक्षण ;

(छ) सम्मेलन ;

(ज) कर्मचारी कल्याण ;

(झ) स्वास्थ्य क्लब, खेलकूद और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग ;

(ञ) विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार भी है ;

(ट) वाहन, पर्यटन और यात्रा, जिसके अंतर्गत विदेश यात्रा भी है ;

(ठ) होटल, बोर्डिंग और वास ;

(ड) मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना और अनुरक्षण ;

(ढ) वायुयान मरम्मत, चालू रखना और अनुरक्षण ;

(ण) औद्योगिक ईंधन से भिन्न ईंधन की खपत ;

(त) टेलीफोन का उपयोग ;

(थ) कर्मचारियों के बालकों के लिए छात्रवृत्ति ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विशेषाधिकार, सेवा, प्रसुविधा या सुख-सुविधा के अंतर्गत ऐसी परिलब्धियां, जिनके संबंध में अध्याय 4 के अधीन नियोजक द्वारा कर का संदाय किया जाता है या संदेय है या निःशुल्क अथवा सहायता प्राप्त परिवहन की प्रकृति की कोई प्रसुविधा या सुख-सुविधा या ऐसा कोई भत्ता नहीं है, जो नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को कर्मचारियों द्वारा अपने निवास से कार्य के स्थान या ऐसे कार्य के स्थान से निवास स्थान की यात्रा के लिए दिया जाता है, धारा 10 के खंड (14) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट परिवहन भत्ते की प्रकृति का कोई भत्ता नहीं है ।

सीमांत फायदों का मूल्य ।

115बग. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, सीमांत फायदों का मूल्य निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(क) कर्मचारी या कर्मचारियों से संदत्त या वसूल की गई रकम को, यदि कोई हो, घटाकर आया वह खर्च, जिस पर धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट फायदे नियोजक द्वारा अपने जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाते हैं :

परंतु उस दशा में जहां धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय उक्त धारा की उपधारा (2) के किसी अन्य खंड में सम्मिलित किए जाते हैं, वहां उस अन्य खंड के अधीन सम्मिलित किए गए कुल व्यय को सीमांत फायदे के मूल्य की संगणना करने के लिए उक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यय की रकम में से घटा दिया जाएगा ;

(ख) धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अभिदाय की वास्तविक रकम ; और

(ग) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यय का पचास प्रतिशत ;

(घ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट व्यय का पचास प्रतिशत :

परंतु किसी ऐसे नियोजक की दशा में, जो होटल के कारबार में लगा है इस खंड के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "पचास प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए थे ;

(ङ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (च) से खंड (ञ) में निर्दिष्ट व्ययों का पचास प्रतिशत ;

(च) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट व्ययों का बीस प्रतिशत ;

(छ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ड) और खंड (ढ) में निर्दिष्ट व्ययों का बीस प्रतिशत :

परंतु, यथास्थिति, मोटर कार या वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, इस खंड के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए हों ।

स्पष्टीकरण—धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ड) और खंड (ढ) में निर्दिष्ट व्ययों के बीस प्रतिशत की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त उपखंडों में निर्दिष्ट मोटर कारों और वायुयानों पर अवक्षयण को सीमांत फायदे में सम्मिलित किया जाएगा ;

(ज) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ण) में निर्दिष्ट व्ययों का बीस प्रतिशत :

परंतु किसी यात्रियों या माल के वहन के कारबार में लगा हुआ किसी ऐसे नियोजक की दशा में, जो इस खंड के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए थे ;

(झ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (त) में निर्दिष्ट व्ययों का दस प्रतिशत ;

(ञ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (थ) में निर्दिष्ट छात्रवृत्ति प्रदान कराने में उपगत वास्तविक रकम।

इ—सीमांत फायदों के संबंध में विवरणी देने के लिए प्रक्रिया और उसके संबंध में कर का निर्धारण तथा संदाय

सीमांत फायदों की विवरणी ।

115बघ. (1) धारा 139 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक ऐसा नियोजक, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को ऐसे सीमांत फायदों का संदाय किया है या संदाय के लिए उपबंध किया है, नियत तारीख को या उससे पूर्व, निर्धारण अधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं पूर्ववर्ष के संबंध में सीमांत फायदों की एक विवरणी प्रस्तुत करेगा या कराएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "नियत तारीख" से अभिप्रेत है,—

(क) जहां नियोजक,—

(i) कोई कंपनी है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) है, जिसके लेखा इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं,

निर्धारण वर्ष का 31 अक्तूबर ;

(ख) किसी अन्य नियोजक की दशा में, निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई ।

(2) किसी ऐसे नियोजक की दशा में, जो निर्धारण अधिकारी की राय में, इस अधिनियम के अधीन सीमांत फायदा कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है और जिसने उपधारा (1) के अधीन विवरणी नहीं दी है, निर्धारण अधिकारी, नियत तारीख के पश्चात्, उसे एक सूचना जारी कर सकेगा और उसकी उस पर तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, विवरणी दे ।

(3) सीमांत फायदा कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी ऐसा कोई नियोजक, जिसने उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर या उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण पूरा होने से पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, किसी पूर्ववर्ष के लिए विवरणी दे सकेगा ।

(4) यदि किसी नियोजक को, उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने पर, उसमें किसी लोप या किसी गलत कथन का पता चलता है तो वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण पूरा होने से पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा ।

निर्धारण ।

115बङ. (1) जहां, कोई विवरणी धारा 115बघ के अधीन तैयार की गई है,—

(i) यदि स्वतः निर्धारण पर संदत्त किसी अग्रिम कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम के समायोजन के पश्चात् ऐसी विवरणी के आधार पर कोई कर या ब्याज देय पाया जाता है तो उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारिती को इस प्रकार संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी और ऐसी सूचना धारा 156 के अधीन जारी की गई मांग की सूचना समझी जाएगी और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ; और